552-1.jpg

संख्या : 206 पी0पी0/26-12/2022

552
28-01-22

प्रेषक,

डा0 राजीव श्रीवास्तव,
जन सूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0
807, जवाहर भवन, अशोक मार्ग,
लखनऊ।

सेवा में,

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र।

मद्यनिषेध विभाग लखनऊ दिनांक 24 जनवरी, 2022

विषय : सूचना का अधिकार के अन्तर्गत सेवानिवृत्त के समय ग्रेजयुटी, पेंशन फंड एवं बीमा के विषय में जानकारी।

महोदय,

उपरोक्त विषय में अवगत कराना है कि श्री [redacted] का पत्र दिनांक 04.01.2022 द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम के तहत सूचनाएं मांगी गयी हैं। उक्त पत्र की मूल प्रति संलग्न कर आपको इस निर्देश के साथ अंतरित की जाती है कि उक्त पत्र में आवेदक द्वारा मांगी गयी सूचनाएं दिनांक 06.02.2022 तक उनके द्वारा प्रेषित लिफाफे में आवेदक को उपलब्ध कराते हुए मुख्यालय को सूचित करना सुनिश्चित करें।

संलग्नक-- यथोक्त।

भवदीय
24/1/22
(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जन सूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

संख्या : — पी0पी0/26-12/2022 तद्दिनांक

प्रतिलिपि श्री [redacted] उत्तर प्रदेश।

(डा0 राजीव श्रीवास्तव)
जन सूचना अधिकारी/
उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी
उत्तर प्रदेश

का0 उपरोक्त के सम्बन्ध में आवश्यक कार्यवाही करें।
28.1.22
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र

सं० 343 पी०पी०/26

प्रेषक,

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र।

सेवा में,

[redacted]

संख्या म0स0गो0/2021-22/गोरखपुर दिनांक 03 फरवरी 2022

विषयः सूचना का अधिकारी के अन्तर्गत सेवानिवृत्त के समय ग्रेजयुटी, पेंशन फंड एवं बीमा के विषय में जानकारी।

महोदय,

उपरोक्त विषयक जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0 206 पी.पी./26-12/2022 लखनऊ दिनांक 24 जनवरी 2022 के माध्यम से आप द्वारा सूचना का अधिकारी अधिनियम के तहत बिन्दु-1 पर मांगी गयी सूचना सेवानिवृत्त स्व0 श्री गम्भीर सिंह यादव पुत्र श्री मोहरमन सिंह यादव के सेवानिवृत्ति के संबंध में कोई भी पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है परन्तु वेतन बिल पंजिका में उपलब्ध अभिलेख के आधार पर उनकी सेवानिवृत्ति 31-.07-1987 है व बिन्दु-2 पर मांगी गयी सूचना सेवानिवृत्ति के समय कितना-कितना ग्रेजुयटी, पेंशन फंड एवं बीमा प्राप्त हुआ है के संबंध में कोई भी पत्रावली कार्यालय में उपलब्ध नहीं है परन्तु वेतन बिल पंजिका के आधार पर उनको ग्रेजुयटी रू0- 17569/- का भुगतान, लीव इन कैशमेन्ट का रू0- 9214.20 व प्राविजनल पेंशन कार्यालय द्वारा रू0 640 प्रतिमाह के दर से माह अगस्त 1987 से जुलाई 1988 तक कुल रू0- 7680/- का भुगतान किया गया है।

यदि आपको इस विनिश्चय के विरूद्ध कोई आपत्ति है तो आप अधिनियम की धारा 19(1) के अधीन तीस दिन के भीतर प्रथम अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष अपील दायर कर सकते हैं, जिनका पता निम्नवत है-

श्रीमती सरोज कुमारी, राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0,/प्रथम अपीलीय अधिकारी
808- जवाहर भवन, लखनऊ। दूरभाष संख्याः 0522-2286664

भवदीय

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र

संख्या 566 म0स0गो0/2021-22/गोरखपुर तददिनांक

प्रतिलिपि- जनसूचना अधिकारी/उप राज्य मद्यनिषेध अधिकारी, उ0प्र0 807-जवाहर भवन, अशोक मार्ग लखनऊ।

03.2.22

(अशोक कुमार सिंह)
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी
गोरखपुर क्षेत्र

9/2/22

कार्यालय

क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी

39 / 42ए / 1 पुरानी ईदगाह कालॉनी, आगरा

पत्रांक 18 म0स0आ0 / 2021–22 / आगरा

दिनांकः 07 जनवरी 2022

सेवा में,

श्री [redacted]

विषयः जन सूचना अधिकार अधिनियम– 2005 के अर्न्तगत सूचना उपलब्ध कराये जाने के सबंध में।

कृपया आप अपने आवेदन दिनांक–04.01.2022 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जो श्रीमान क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी आगरा को सम्बोधित इस कार्यालय को दिनांक 06.01.2022 में प्राप्त हुआ के सन्दर्भ में वांछित सूचना बिन्दु–1व बिन्दु–2 के संदर्भ में सूंचना निम्नवत है।

1– सेवानिवृत्त श्री गंभीर सिंह यादव पुत्र श्री मोहरमन सिंह यादव, मद्यनिषेध समाजोत्थान अधिकारी तत्कालीन कार्यालय कानपुर क्षेत्र में जो सेवानिवृत्त हुये इनकी सेवानिवृत्त से सम्बंधित अभिलेख काफी तलाशने के पश्चात इस कार्यालय में नहीं पाये जा सके है। कार्यालय के बींडिंग रजिस्टर के अनुसार पूर्व सेवानिवृत्त, क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, आगरा के विशेष टिप्पणी के अनुसार क्षेत्रीय कार्यालय कानपुर से आगरा स्थानंतरण के समय–तमाम अभिलेख जीर्ण सीर्ण होने की दशा में व ट्रक में लादते व उतारने की दशा में स्वतः नष्ट हो गये है। (प्रमाणित प्रतिलिपि बीडिंग रजिस्टर की संलग्न)

कृपया बिन्दु–1व बिन्दु–2 की सूचना से सूचित हों।

(प्रकाश सिंह गावर)
क्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी, आगरा /
जनसूचना अधिकारी आगरा।